५५

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी रायपुर,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :– 41/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/216

अनवान

1. भैरूलाल पिता हाथी गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. श्रवण पिता लेहरू गाडरी निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. चुना पिता भैरा गाडरी निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मोहन पिता भैरा गाडरी निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. गंगाराम पिता रायमल गाडरी निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. बाबु पिता लेहरू गाडरी निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. किशन पिता नारू गाडरी निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. रेमत पिता हीरा गाडरी निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. उदयराम पिता गोपीराम गाडरी निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. अमरचन्द पिता सवाईराम गाडरी निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. उदा पिता हजारी गाडरी निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. मीना पुत्री हाथी गाडरी निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

(वास्ते–विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी करने बाबत्)

उपस्थित

1. मनीष दाधीच – प्रार्थी अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1 लगायत 10 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांकः– 8/1/2026

1. संक्षिप्त मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बाड़ियाकला पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1232 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 1233 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 1235 रकबा 0.29 है0, आराजी संख्या 1236 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 1244 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 1245 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 1248 रकबा 0.18 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 219 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल मय नक्शा ट्रेस संवत 2074 से 2077 की पेश की है।

उपखण्ड दण्डनायक
(एस.डी.ओ.) रायपुर

2. प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बावत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरवार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 20.12.2024 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

3. प्रार्थी के आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामील विपक्षी संख्या 1 लगायत 10 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही दिनांक 18.12.2025 को अमल में लाई गई एवं विपक्षी संख्या 11 के विरूद्व प्रार्थी अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है।

4. प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमे अंकन किया कि त्रुटिवश सभी पक्षकारान के निवास पते की तहसील सहाड़ा लिख दी गई है जबकि पक्षकारान की निवासी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के है। अतः पक्षकारान की निवास तहसील सहाड़ा से तहसील रायपुर किया जावे।

5. प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय द्वारा दिनांक 08.01.2026 को स्वीकार किया गया।

6. प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बाड़ियाकला पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1232 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 1233 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 1235 रकबा 0.29 है0, आराजी संख्या 1236 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 1244 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 1245 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 1248 रकबा 0.18 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 219 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है, जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु आवेदन स्वीकार किया जाए।

7. न्यायालय ने विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व संलग्न दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो का विवेचन किया। जिससे स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम बाड़ियाकला पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1232 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) रायपुर

1233 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 1235 रकबा 0.29 है0, आराजी संख्या 1236 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 1244 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 1245 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 1248 रकबा 0.18 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 219 पर दर्ज रेकार्ड है, जो पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि की जमाबन्दी संवत 2074–2077 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीया संलग्न विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीया हकदार प्रतीत होते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किये जाने योग्य है।

::– आदेश –::

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम बाड़ियाकला पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1232 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 1233 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्यां 1235 रकबा 0.29 है0, आराजी संख्या 1236 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 1244 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 1245 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 1248 रकबा 0.18 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 219 पर दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बधित भू–अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीया द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 1000/–रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 2000/–रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

(करूणा लाड़ोती)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

आदेश आज दिनांक 8/1/2026 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

...यालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी रायपुर,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :– 41/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/216

अनवान

1. भैरूलाल पिता हाथी गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. श्रवण पिता लेहरू गाडरी निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. चुना पिता भैरा गाडरी निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. गोहन पिता भैरा गाडरी निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. गंगाराम पिता रायमल गाडरी निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. बाबु पिता लेहरू गाडरी निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. किशन पिता नारू गाडरी निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. रेमत पिता हीरा गाडरी निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. उदयराम पिता गोपीराम गाडरी निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. अमरचन्द पिता सवाईराम गाडरी निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. उदा पिता हजारी गाडरी निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. मीना पुत्री हाथी गाडरी निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट</u>

प्रेषित :–<u>तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत्</u>

दिनांकः– 8/1/2026

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 8/1/2026 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम बाड़ियाकला पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1232 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 1233 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 1235 रकबा 0.29 है0, आराजी संख्या 1236 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 1244 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 1245 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 1248 रकबा 0.18 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 219 पर दर्ज रेकार्ड है।

इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 1000/–रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 2000/–रूपये सम्बधित भू–अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थी की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 8/1/2026 को उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(करूणा लाड़ोती)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
रायपुर (जिला भीलवाड़ा)